

केजरीवाल को अंतिम जमानत अवधि बढ़ाने पर नहीं मिली राहत

उच्चतम न्यायालय ने कहा, इस मामले को सूचीबद्ध करने का फैसला सीजेआई करेंगे



पार्यनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली


अवकाश पीठ में बैठे थे, आपने तब इसका उल्लेख कर्त्ता नहीं किया। माननीय सीजेआई को निर्णय लेने दें कर्त्ता की यह औचित्य का मुद्दा उठाता है... हम इसे सीजेआई को भेजेंगे।

सिंघवी ने कहा कि चिकित्सकीय परामर्श 26 मई को मामले था और इन्हिए पिछले सप्ताह उस अवकाश पीठ के समक्ष इसका उल्लेख नहीं किया जा सका जिसमें न्यायमूर्ति दत्ता शामिल थे। उन्होंने कहा, अगर इसे डिजिटल माध्यम से भी उस पीठ (न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता को) के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है तो वे भी मुश्किली की नहीं हैं।

पीठ ने कहा, ज़िंक केजरीवाल को एक जून तक अंतिम जमानत देने वाली न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता की पीठ ने मुख्य याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, इन्हिए जमानत की अवधि करने के लिए उच्चतम न्यायालय से अंतिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और मुख्यमंत्री को ओर से ऐसे हुए विश्वास अधिकारियों की संघर्ष के बारे में बैठे हैं। याचिका को तकाल सूचीबद्ध करने के लिए उनका जीर्णवाला को अवधि दिलाए गए थे। याचिका को तकाल सूचीबद्ध करने के लिए उनका जीर्णवाला को अवधि दिलाए गए थे।

याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को पैट-सीटी स्कैन सहित तस्वीर ली जाती है। शीर्ष अदालत ने 10 मई को, लोकसभा चुनाव के महोन्हर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन



ईडी के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अवकाशीय नीति से जुड़े धन शोध मामले में मुख्यमंत्री और अवधिकारी के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में फैसला चार जून के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित की अवधि बढ़ाई जाएगा।

केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा है कि वह जेल लौटने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि दो जून के बाजाय नौ जून को अल्पसमयांग करना चाहते हैं। याचिका में कहा गया है कि उनका वजन छह से सात किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गुरुदा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेत कही गयी है।

याचिका में कहा गया है कि

दिया गया, जिन्होंने रिश्ते नहीं दी थी। विषेष न्यायाधीश कारबोर बोजे ने प्रवर्तन निवेशालय (ईडी) की दलितों सुनने के बाद आपना आदान-आदान सुरक्षित रख लिया। एंजेसी ने कहा कि आपेपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने आरोप पत्र में आप आदामी पार्टी को भी अपीली बनाया है। परलो बार जन शोधन आरोपन अधिनियम (पीएलएल) के तहत किसी दल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने अदालत को बताया है कि आप आदामी पार्टी को गणराज्य संयोजक अवधिकारी के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शरब कारोबार में विवेष नहीं करने से जुड़े हुए थे।

शरीर के अंगों एवं ऊंठों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं। शीर्ष अदालत ने 10 मई को, लोकसभा चुनाव के महोन्हर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन

की अंतिम जमानत दी थी। जिसके अनुसार उन्हें दो जून को जेल लौटना है। केजरीवाल को अवकाशीय नीति घोटाले से पानी का विवेषपूर्ण उत्तरायण करने की अपील की। मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि अरोग्य और व्यापारियों को जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इलाके के इनकारी को अवधिकारी की प्रतीक्षा है। कुमार के वकील ने हिरासत में लेकर उनके मुवकिल पुलिस के पूछताछ करने की विभाग का विवेष तो नहीं है। दूसरे पक्ष के विवेष की विभाग की विवेषपूर्ण उत्तरायण करने की अपील की। मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि अरोग्य और व्यापारियों को जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अतिशी ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जेल से बाहर नहीं करना चाहिए।

अदालत ने जेल प्राधिकारिय

